पत्र संख्या/एफ0टी0. 48–3731/2018(एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषकः नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषितः क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1 27 APR 2023

विषयः **Diversion 9.739 hectare of forest land in favour of HPSEB Ltd., for the construction of Devi Kothi Hydel Electric Project (16 MW), within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh (Online No. FP/HP/HYD/32280/2018).**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/01/116/2019 दिनांक 16/06/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
3. **प्रतिपुरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी0ए0 के लिए प्रस्तावित वन भूमि के दूगने पर पौधों का रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
   (ख) सी0ए0 की खसरा न0 88/1,93,210/1 मोहाल चिउली तहसील चुराह में किया गया है।
   (ग) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
   (घ) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
4. **शुद्व वर्तमान मूल्यः**
   क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशो के अनुसार शुद्व वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

   (ख)शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।
5. The revised NPV calculation as per MoEF order dated 06.01.2022 has been done and uploaded with the compliance report by the user agency.
6. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्याालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा।
7. The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the final approval.

8. The funds has been deposited by the user agency in Ad-hoc CAMPA accordingly.
9. FRA certificate has been uploaded by the user agency with the compliance report of Stage-I approval.
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में रोपित कर Greeneary को maintain करने के बाबत undertaking संलग्न है।
11. एफ0आर0ए0 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण ने सहमति जताई है कि प्रस्तावित वन भूमि पर पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखा जाएगा, प्रस्ताव के अनुसार पातन किए जाने वाले पेडों की संख्या 405 से अधिक नही होगी। पेड़ों की कटाई अपरिहार्य स्थिति में राज्य वन विभाग की सख्त निगरानी में ही होगी।
13. आस–पास के क्षेत्र व वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
14. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोंटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी **4242000/–**रु0, तथा शुद्व वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी **10415568/– रु0**, Cost of Implementing CAT Plan की राशी **15633000/– रु0** जो कुल **30290568/– रु0** बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
15. इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।
16. केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।
17. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
19. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
22. केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
23. इससे सम्बन्धित वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
24. इससे सम्बन्धित वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
25. The user agency has undertaken that they will comply the provisions of all rules, regulations and guidelines issued for laying transmission line in forest area for the time being in force, as applicable to the project.
26. इससे सम्बन्धित वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
27. र्प्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जिवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें की मान्यता के सन्र्दभ में प्रयोक्ता अभिकरण ने वचनवद्वता दी है।
28. इससे सम्बन्धित वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
29. The user agency has undertaken that they will submit annual self compliance report in respect of above conditions to the State Government and to the concerned R.O. of the Ministry.

30.यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनध्युमति प्राप्त कर ली जाएगी।

31.इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार की गई कार्यावाही मान्य है।

32.अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय

नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0